श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Prakashji, please convey to the Minister about the dates. Now, Shri Rajeev Satav.

Need to compensate the victims of banking frauds by the concerned banks within a stipulated time

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के दौरान scheduled commercial bank और financial institutions में, 4.85 लाख करोड़ रुपये के करीब 85 हजार मामले पूरे देश में फाइनेंशियल फ्रॉड के रिपोर्ट हुए हैं और इससे आम खातेदारों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने के बारे में सरकार द्वारा पहल करने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह कहा था कि ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से यह हो रहा है। एक तरफ ऑनलाइन बैंकिंग को सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा आम खातेदारों को भरपाई के लिए बैंक के ऊपर निश्चित समयावधि तय करने की मांग करता हूं।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI N.R. ELANGO (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सभापति: क्या श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए हैं? अब आपको समय पर पहुंचना है। अब आप बोलिए।

Need to tackle overcrowding of inmates in the jails of Bihar

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ पूरे जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है, वहीं बिहार में इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना महामारी के कारण बिहार के विभिन्न न्यायालय पिछले कुछ महीनों से अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जमानत के मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई है। इससे बिहार के जिलों में कैदियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। बिहार के कुल 59 जिलों में कोविड महामारी के पूर्व लगभग 40 हजार कैदी थे, मगर आज इनमें बंद कैदियों की संख्या लगभग 50 हजार हो चुकी है। महोदय, ऐसे समय में जब दुनिया भर में कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी को सबसे कारगर हथियार बताया जा रहा है, बिहार के जिलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। वैसे भी बिहार में आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनज़र कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी स्तरों पर काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसलिए मेरा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से यह अनुरोध होगा कि आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनज़र बिहार के जिलों में भारी भीड़ की समस्या की अपने स्तर पर समीक्षा कर यथाशीघ्र समुचित कार्यवाही करें।

डा. सस्मित पात्रा (ओडिशा): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SPECIAL MENTIONS

Demand for bus services in North Eastern States

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions. You have to read the subject and lay it on the Table.